न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 105/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
प्रेमसिंह पुत्र अजिमा जी जाति रावत निवासी रेल्वे लाईन के पास (कलाली का बाड़िया) देवनगर, चांग तहसील रायपुर जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सेन्दड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26.11.2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 393/2017 में उप तहसीलदार सेन्दड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2017 एवं अपील संख्या 23/2017 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार सेन्दड़ा द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम देवनगर चांग कलाली का बाड़िया, पटवार हल्का चांग के खसरा नम्बर 4147 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मगरी की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विस्तृत जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट का सरकारी भूमि पर किसी भी रूप में कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि पर ही काबिज है, जिस पर अपीलाण्ट का वर्षों पुराना मकान बना हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत तथ्यों पर आधारित है तथा उसके द्वारा राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 4147 की कोई तरमीम ही नहीं है, इस कारण उक्त गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाण्ट की भूमि खसरा नम्बर 4147

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की तरमीम की जावे एवं उसके बाद यदि अपीलाण्ट का सरकारी भूमि पर कब्जा पाया जाता है, जो विधि अनुसार कार्यवाही की जावे। खसरा नम्बर 4147 का कुल रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा था, जिसमें से विभिन्न व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुआ है। अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि पर ही काबिज है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील विवादित आराजी के सीमांकन आदि नहीं करने एवं नक्शे में तरमीम नहीं करने से विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट के विरूद्ध यह प्रकरण दायर कर निस्तारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। खसरा नम्बर 4147/4 रकबा 0.0089 की भूमि अपीलाण्ट को आवंटित हुई है तथा खसरा नम्बर 4147/9 की भूमि पर अपीलाण्ट का बेरा होने के कारण अपीलाण्ट के पक्ष में नियमन हुई है। अपीलाण्ट का मकान उसकी खातेदारी भूमि पर बना हुआ है, जो वर्षो पूर्व बना होने के कारण उक्त भूमि की जमाबन्दी में भी गै0मु0 मकान दर्ज है, जिस पर धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का परीक्षण न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी सीमांकन करवाने का निवेदन किया था, किन्तु दोनों ही न्यायालयों द्वारा अपीलाण्ट के तथ्यों एवं कथनों पर कोई गौर नहीं किया तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। उप तहसीलदार सेन्दड़ा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं करते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम देवनगर, पटवार हल्का चांग के खसरा नम्बर 4147 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मगरी की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम देवनगर, पटवार हल्का चांग के खसरा नम्बर 4147 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मगरी की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का चांग द्वारा उप तहसीलदार सेन्दड़ा के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर उप तहसीलदार सेन्दड़ा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 03.02.2017 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट प्रेमसिंह से तामील करवाया गया, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील माना गया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया गया, उसमें जैर अपील विवादित आराजी पर स्वयं का कब्जा नहीं होना बताते हुए स्वयं को अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होना बताया।मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस तर्क से पूर्णतः सहमत है कि यदि अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि पर ही काबिज है, तो उसके द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की गई। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 393/2017 में उप तहसीलदार सेन्दड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2017 एवं अपील संख्या 23/2017 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली